राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4222/2024

गोपी कृष्ण निमीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संत कुमार शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांखण ताल, राजगढ़, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.12.2024
आदेश की दिनांक : 03.01.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांखण ताल, राजगढ़, चूरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को गलत तरीके से अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसरा ताल, जिला चूरू में काउंसलिंग किए बिना स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी पर विचार कर उसे वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध उप–प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने वर्तमान विद्यालय में आदेश दिनांक 01.03.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया और उसे आदेश दिनांक 04.10.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांखण ताल में पदस्थापित किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.10.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा उप प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांखण ताल में उप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके कारण अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया तथा आदेश दिनांक 07.12.2024 द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसरा ताल में लगभग 80 कि.मी. दूर स्थानान्तरित कर दिया गया। शहीद शमसेर सिंह राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, रतनपुरा, राजगढ़ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुबकिया ताल, राजगढ़ में अनेक पद रिक्त पड़े है, लेकिन इस पर विचार किए बिना ही अपीलार्थी को दिनांक 14.11.2024 की नीति के विरूद्ध स्थानान्तरित कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांखण ताल, राजगढ़, चूरू में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य